मैसेज बॉक्स

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रॉक : विप0–1/320–एकीकृत लाई0/2017– 1205 दिनॉक 11.12.2017

समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ,
उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–67 व नियम–68 का संशोधन संबंधी अधिसूचना संख्या–03/2017/2459/80–1–2017–78/2014 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 निर्गत हो गई है।

अतः निर्गत शासकीय अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरि।

(धीरज कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकनः पत्रांक व दिनांक समांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
(3) सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
(4) अनुभाग अधिकारी, परिषद बैठक पटल, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या -03(1)/2017/2459/80-1-2017-78/2014
लखनऊ दिनां 04 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम -67 में प्राविधानित एकीकृत लाइसेंस शुल्क की धनराशि को कम किये जाने तथा नियमावली, 1965 के नियम-68 के उप नियम-(4) में संशोधन कर "डिजिटल पेमेन्ट" की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कृषि विपणन एवं कृषि व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या- 03/2017/2459/80-1-2017-78/2014, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 01 दिसम्बर 2017,के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड "ख" में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ममता यादव)
विशेष सचिव।

PS to AD(A)
08/12/17
निजी सचिव
निदेशक
मण्डी परिषद, उ0प्र0
2174
08/12/17

DDA(R) / SOM-1
3009
8/12

S.O (M-1)
11.12.17
6246
11.12.17
(राजीव श्री...)

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014
लखनऊ दिनांक- 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम — 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-67 का संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 67 में, लाइसेंस निर्गत किये जाने और उसके नवीकरण हेतु शुल्क की सारणी में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी

अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम			
67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क	67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
	6	थोक व्यापारी-सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	1,00,000		6	थोक व्यापारी- सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	10,000

नियम-68 का संशोधन — 3. उक्त नियमावली में, नियम 68 में, स्तम्भ 1 मे दिये गये उप नियम(4) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।	(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद या डिजिटल पेमेन्ट अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014, dated, November, 2017

Notification

No - 03/2017/2459/80-1-2017-78/2014

Lucknow, Dated, ~~November~~, 01 2017

December,

In exercise of the powers under section 40 of the Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P.Act no.XXV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governer is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965:-

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (TEISAWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2017

Short title 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Teisawan Sanshodhan) Niyamawali, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Gazette.

Amendment of rule-67 2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to as the said rules in rule 67 in the table of fees for issue and renewal of licenses, for the entries at class 6 set out in column-I below, the entries as set out in column-II shall columnwise be substituted namely:-

Column-I Existing rule				Column-II Rule as hereby substituted			
67	Class of license	Description of license	License fee	67	Class of license	Description of license	License fee
	6	Unified License for the Wholesale trader- cum-commission agent, Wholesale trader, or Commission agent.	1,00,000		6	Unified License for the Wholesale trader-cum-commission agent, Wholesale trader, or Commission agent.	10,000

Amendment of Rule-68 3. In the said rules, in rule-68 for sub- rule(4) set out in column-I, the sub rule as set out in column-II shall be substituted namely:

Column-I Existing sub-rule	Column-II Sub-rule as hereby substituted
(4) The payment of the market fee and licence fee shall be made to the Committee in cash and in special circumstances by Bank Draft of Nationalised Bank."	(4) The payment of the market fee and license fee etc. shall be made to the Committee in cash or Digital Payment and in special circumstances by Bank Draft of Nationalised Bank."

27/11/17

By Order

(Amit Mohan Prasad)

Principal Secretary

क्रम-संख्या–114 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 मई, 2016

ज्येष्ठ 10, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 17/2016/1405/80-1–2016-600(50)-2013

लखनऊ, 31 मई, 2016

अधिसूचना

प०आ०–311

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में, उप नियम (1) में, खण्ड (19) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

(20) "एकीकृत लाइसेन्स"–का तात्पर्य सम्पूर्ण राज्य के लिये एकल लाइसेन्स से है। लाइसेन्सधारी राज्य के सभी मण्डी क्षेत्रों में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के व्यापार (विक्रय और क्रय) के लिये अधिकृत होगा। मुख्य मण्डी समिति, जो एकीकृत लाइसेन्स निर्गत करने हेतु अधिकृत है, निदेशक की पूर्व सहमति से इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेन्स को निलम्बित अथवा रदद कर सकती है।

नियम 67 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–I में दिये गये नियम 67 के स्थान पर स्तम्भ–II में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ– I
विद्यमान नियम

67 (1) लाइसेन्स शुल्क–अधिनियम के अधीन एक कृषि वर्ष की अवधि के लिये लाइसेन्स जारी तथा नवीकृत करने के लिये शुल्क वहीं होगा जैसा कि नीचे विहित किया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी के अनुरोध पर लाइसेन्स पाँच वर्ष की अवधि के लिये अथवा आजीवन प्रार्थी हेतु जारी तथा नवीनीकृत किया जा सकता है।

लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
1	(1) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया, या (2) थोक व्यापारी, या (3) आढ़तिया, या (4) मिल, या (5) कारखाना, या (6) कोल्ड स्टोरेज, या (7) दलाल।	250
2	(1) गोदाम परिचालक, या (2) ट्रांसपोर्ट एजेन्सी।	200
3	(1) आटा चक्की (शक्ति चालित), या (2) तेल की धानी (शक्ति चालित), या (3) अपतृषक (शक्ति चालित), या (4) वितृषक, या (5) निष्कापक, या (6) ओटनी, या (7) डिकोरटीकेटर (शक्ति चालित), या (8) बेल, केन्द्रीयित (शक्ति चालित), या (9) चक्की (शक्ति चालित), या (10) आरा मशीन।	150
4	फुटकर व्यापारी	100
5	(1) तोलक, या (2) मापक, या (3) पल्लेदार	25

स्तम्भ– II
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

67 (1) लाइसेन्स शुल्क–अधिनियम के अधीन एक कृषि वर्ष की अवधि के लिये लाइसेन्स जारी तथा नवीकृत करने के लिये शुल्क वहीं होगा जैसा कि नीचे विहित किया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी के अनुरोध पर लाइसेन्स पाँच वर्ष की अवधि के लिये अथवा आजीवन प्रार्थी हेतु जारी तथा नवीनीकृत किया जा सकता है।

लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
1	(1) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया, या (2) थोक व्यापारी, या (3) आढ़तिया, या (4) मिल, या (5) कारखाना, या (6) कोल्ड स्टोरेज, या (7) दलाल।	250
2	(1) गोदाम परिचालक, या (2) ट्रांसपोर्ट एजेन्सी।	200
3	(1) आटा चक्की (शक्ति चालित), या (2) तेल की धानी (शक्ति चालित), या (3) अपतृषक (शक्ति चालित), या (4) वितृषक, या (5) निष्कापक, या (6) ओटनी, या (7) डिकोरटीकेटर (शक्ति चालित), या (8) बेल, केन्द्रीयित (शक्ति चालित), या (9) चक्की (शक्ति चालित), या (10) आरा मशीन।	150
4	फुटकर व्यापारी	100
5	(1) तोलक, या (2) मापक, या (3) पल्लेदार	25
6	थोक व्यापारी-सह- आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिये एकीकृत लाइसेन्स	1,00,000

स्तम्भ–I विद्यमान नियम	स्तम्भ–II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में मण्डी समिति में कार्य करने के लिये नया लाइसेन्स जारी करने के या लाइसेन्स के नवीनीकरण के प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ मण्डी समिति के पक्ष में सम्यक् रूप से बन्धक करा कर, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत के रूप में 1,000 रु0 प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।	(4) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में मण्डी समिति में कार्य करने के लिये नया लाइसेन्स जारी करने के या लाइसेन्स के नवीनीकरण के प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ मण्डी समिति के पक्ष में सम्यक् रूप से बन्धक करा कर, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत के रूप में 1,000 रु0 और एकीकृत लाइसेन्स के मामलें में 1,00,000 लाख रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।

नियम 70 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, 1965 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 70 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 70 मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना– 70 (1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों को हिन्दी में बंटवाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियाँ चिपका कर और मण्डी स्थानों में लाउडस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर घोषणा करके समस्त स्थानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री क्रय, संग्रह, तौलन, या प्रक्रिया करने के लिये किसी स्थान की व्यवस्था करना, स्थापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, आढ़तिया की उपधारा (2) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिये उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपत्र में जो मण्डी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित करे, प्रार्थना–पत्र देने को कहेगी : प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपबन्ध किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले, पोसे, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न होंगे जो किसी कृषि उत्पादन मण्डी को अपने घरेलू उपयोग के लिये क्रय अथवा संग्रह करें।	**नियम** 70 मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना– 70 (1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों को हिन्दी में बंटवाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियाँ चिपका कर और मण्डी स्थानों में लाउडस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर घोषणा करके समस्त स्थानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री, क्रय, संग्रह, तौलन, या प्रक्रिया करने के लिये किसी स्थान की व्यवस्था करना, स्थापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, कमीशन अभिकर्ताओं आढ़तियों, भण्डागारिकों, दलालों, गोदाम परिचालकों, तोलकों, मापकों, पल्लेदारों और अन्य व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या, धारा 9 (क) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिये उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपत्र में जो मण्डी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित करे, प्रार्थना–पत्र देने को कहेगी : प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपबन्ध किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले, पोसे, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न होंगे जो किसी कृषि उत्पादन मण्डी को अपने घरेलू उपयोग के लिये क्रय अथवा संग्रह करें।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

\\Data-1\d\Krishi Vipran Niyamawali-2014\139 RPH Krishi Vipran-2016.doc

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 17/2016/1405/LXXX-1–2016-600(50)-2013, dated May 31, 2016:

No. 17/2016/1405/LXXX-1–2016-600(50)-2013

Dated Lucknow, May 31, 2016

IN exercise of the powers under section 40 of the Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (IKKISAWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2016

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Ikkisawan Sanshodhan) Niyamawali, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter refered to as the said rules, in rule 2, in sub-rule (1) *after* clause (xix) the following clause shall be *substituted*, namely :–

(xix) "Unified license" means a single license for the whole State. This license may be authorized for trading (sale and purchase) of specified agriculture produce in all market areas of the State. The main Market Committee which is authorised to issue Unified License may suspend or cancel the License with the prior concurrence of the Director, according to the procedure prescribed in these rules.

Amendment of of rule 67

3. In the said rules *for* rule 67 set out in Column-I below the *rule* as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I

Existing rule

67(1) License fee-The fee for issue and renewal of license for a period of one agricultural year, under the Act shall be as prescribed hereunder :

Provided that the license may be issued and renewal for a period of five years or for the life time of the applicant, on the request of the applicant.

Class of license	Description of license	License fee
1	(1) Wholesale trader-cum-commission agent, or (2) Wholesale trader, or (3) Commission agent, or (4) Mill, or (5) Factory, or (6) Cold Storage, or (7) Broker	250
2	(1) Warehouseman, or (2) Transport agency	200

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

67(1) License fee-The fee for issue and renewal of license for a period of one agricultural year, under the Act shall be as prescribed hereunder :

Provided that the license may be issued and renewal for a period of five years or for the life time of the applicant, on the request of the applicant.

Class of license	Description of license	License fee
1	(1) Wholesale trader-cum-commission agent, or (2) Wholesale trader, or (3) Commission agent, or (4) Mill, or (5) Factory, or (6) Cold Storage, or (7) Broker	250
2	(1) Warehouseman, or (2) Transport agency	200

\\Data-I\d

Class of license	Description of license	License fee
3	(1) Atta chakky (power driven), or (2) Oil Ghani (power driven), or (3) Huller (power driven), or (4) Sheller, or (5) Expeller, or (6) Ginnery, or (7) Decorticator (power driven), or (8) 'Bel' centrifugal (power driven), or (9) Grinder (power driven), or (10) Arra machine.	150
4	Retail trader	100
5	(1) Weighman, or (2) Measurer, or (3) Palledar	25
(4) For functioning as wholesale trader-cum-commission agent or wholesale trader or commission agent, each application for the issue of new license or for the renewal of license shall be accompanied with a deposit of Rs. 1000.00 as security in the form of Bank Draft or N.S.C. duly pledged to the Market Committee.		

Class of license	Description of license	License fee
3	(1) Atta chakky (power driven), or (2) Oil Ghani (power driven), or (3) Huller (power driven), or (4) Sheller, or (5) Expeller, or (6) Ginnery, or (7) Decorticator (power driven), or (8) 'Bel' centrifugal (power driven), or (9) Grinder (power driven), or (10) Arra machine.	150
4	Retail trader	100
5	(1) Weighman, or (2) Measurer, or (3) Palledar	25
6	Unified License for the Wholesale trader-cum-commission agent, Wholesale trader or Commission agent.	1,00,000
(4) For functioning as wholesale trader-cum-commission agent or wholesale trader or commission agent, each application for the issue of new license or for the renewal of license shall be accompanied with a deposit of Rs. 1000.00 and in the case of Unified License Rs. 1,00,000 as security in the form of Bank Draft or N.S.C. duly pledged to the Market Committee.		

4. In the said rule *for* rule 70 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 70

COLUMN-1

Existing rule

70. Licensing by the Market Committee- 70 (1) The Market Committee shall, as soon as may be, after the approval of its bye-laws, by notice to be publised through distribution of its copies in Hindi in the

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

70. Licensing by the Market Committee- 70 (1) The Market Committee shall, as soon as may be, after the approval of its bye-laws, by notice to be publised through distribution of its copies in Hindi in the Market Area and also by

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Market Area and also by affixation of copies of such notice at prominent places, in the Market Area, and announcement through, loudspeakers or by the beat of drums in the Market Yards call upon all Local Bodies and other persons wishing to set up, establish or continue any place for the sale, purchase, storage, weighment or processing of the specified agricultural produce, in the Market Area, and shall likewise call upon all Traders, Commission Agents, Brokers, Warehousemen, Weighmen, Measurers, Palledars and other persons handling or dealing in specified agricultural produce, in the Market Yards, to apply for a license under sub-section (1) of section 9 or sub-section (2) of section 9 of the Act, as the case may be, in such form as may be specified by the Market Committee in its bye-laws, within a period of fifteen days from the date of publication of the said notice :	affixation of copies of such notice at prominent places, in the Market Area, and announcement through, loudspeakers or by the beat of drums in the Market Yards call upon all Local Bodies and other persons wishing to set up, establish or continue any place for the sale, purchase, storage, weighment or processing of the specified agricultural produce, in the Market Area, and shall likewise call upon all Traders, Commission Agents Brokers Warehousemen, Weighmen, Measurers, Palledars and other persons handling or dealing in specified agricultural produce, in the Market Yards, to apply for a license under sub-section (1) of section 9 of sub-section (2) of section 9 **or section 9A** of the Act, as the case may, be, in such form as may be specified by the Market Committee in its bye-laws, within a period of fifteen days from the date of publication of the said notice :
Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to a Producer in respect of agricultural produce produced, reared, caught or processed by him and to any person who purchases or stores any agricultural produce for his domestic consumption.	Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to a Producer in respect of agricultural produce produced, reared, caught or processed by him and to any person who purchases or stores any agricultural produce for his domestic consumption.

By order,

AMIT MOHAN PRASAD,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 139 राजपत्र (हि०)–2016–(317)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा0 कृषि–2016–(318)–250 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।